

Wang
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी

28.06.2024:—पत्रावली ~~वेष्टीनगमे~~ आई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा फर्द अहकाम पर **NO PRESS** अंकन किया गया। प्रार्थी वकील के **NO PRESS** करने के कारण प्रार्थना-पत्र में कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती। प्रार्थी उक्त प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. वर्तमान स्तर पर ही खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से ~~कम~~ की जाकर बाद तरबीज तक मील दाखिल दफ्तर हो।



Wang
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनूमानगढ़